कार्यालयः जिला कार्यक्रम अधिकारी, गोरखपुर।

पत्रांक सी-1627 /जि0का0अधि0/साडी/वर्दी/2022-23 दिनांक ~~मई~~ 2022 04/8/22

बाल विकास परियोजना अधिकारी
गोला-गोरखपुर।

विषयः- परियोजना कार्यालय पर आवंटित साडी के वितरण न कराये जाने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक अपने पत्र संख्या सी.95/बा0वि0परि0अधि0/आ0बा0का0-सहा0/साडी/ 2022-23 दिनांक 30 जुलाई, 2022 के द्वारा अवगत कराया गया है परियेजना कार्यालय पर दिनांक 24 जून, 2022 कोविभागीय साडी की आपूर्ति प्राप्त हुई के सापेक्ष लगभग 90 प्रतिशत साडी का वितरण लिपिक द्वारा संबंधित को किया जा चुका था शेष को कार्यालय पर बुलाकर वितरण की कार्यवाही की जा रही थी। श्रीमती गीताजंली मौर्या आंगनबाडी कार्यकत्री विकास खण्ड-चरगॉवा गोरखपुर एवं श्रीमती विजयलक्ष्मी राय कार्यकत्री केन्द्र-गोपलापुर द्वारा बिना किसी पूर्व सूचना के दिनांक 29 जुलाई, 2022 को कार्यालय में आकर अपने किसी कार्यक्रम का प्रचार-प्रसार करते हुए उपस्थित आंगनबाडी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं को अपने पक्ष में करते हुए वितरित साडी को कार्यालय पर फेकवा दिया गया। जिससे कार्यालय की स्थिति कार्यकत्रियों के बीच काफी खराब हो गयी है।

उक्त के कम में अवगत कराना है कि इस कार्यालय के पत्र संख्या सी.983 दिनांक 15.06.2022 के द्वारा दिनांक 24.06.2022 को कुल साडी 584 (332+252) प्रेषित की गयी। प्रेषित साडी को आंगनबाडी कार्यकत्री/सहायिकाओं में 01 सप्ताह के वितरण करते हुए प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। परन्तु आप द्वारा पत्र दिनांक 30.07.2022 के द्वारा अवगत कराया जा रहा है कि 90 प्रतिशत साडी का वितरण किया गया। से स्पष्ट है कि आप द्वारा उक्त सामग्री के वितरण में जानबूझकर विलम्ब किया गया है।

अतः उपरोक्त के कम में निर्देशित किया जाता है कि जिन आंगनबाडी कार्यकत्री/सहायिकाओं द्वारा साडी प्राप्त नहीं किया गया है अथवा साडी लेने के उपरान्त कार्यालय में फेक दिया गया है उन कार्यकत्रियों/सहायिकाओं के विरूद्व कार्यवाही आपके स्तर से क्या कार्यवाही की गयी है यदि कार्यवाही प्रचलित नहीं की गयी है तो संबंधित के विरूद्व कार्यवाही प्रचलित करते हुए वस्तुस्थिति से अवगत कराना सुनिश्चित करें। जिससे अग्रेतर कार्यवाही की जा सके।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
गोरखपुर।

पृष्ठांकन संख्या तद्दिनांकित

प्रतिलिपि- निम्नलिखित की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उत्तर प्रदेश-लखनऊ।
2- निदेशक, राज्य पोषण मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3- जिलाधिकारी, गोरखपुर।
4- मुख्य विकास अधिकारी, गोरखपुर।
5- समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी/प्रभारी (गोला को छोडकर) जनपद-गोरखपुर को इस निर्देश के साथ कि उपलब्ध कराये गए साडी/वर्दी का वितरण आंगनबाडी कार्यकत्री/सहायिकाओं में किया गया है तो वितरण का प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से 08.08.2022 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

जिला कार्यक्रम अधिकारी
गोरखपुर।